Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 18, 2011
(SRAVANA 27, 1933 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 18th August, 2011

No. 13—HLA of 2011/52.—The Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 2011, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 13—HLA of 2011

THE HARYANA CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2011

A

BILL

further to amend the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 2011. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 30th January, 1975.

2. In section 5 of the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972,— Amendment of section 5 of Haryana Act 26 of 1972.

(a) in clause (f), for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted; and

(b) after clause (f), the following clauses shall be added, namely :—

"(g) land acquired by a person for non-agricultural purposes and falling within 'urban area' as defined under the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975);

(h) land acquired by a person and put to non-agricultural use, or land in respect of which permission, wherever applicable, has been granted for its use for non-agricultural purposes by the competent authority;

(i) land not covered under clauses (g) or (h) above and acquired by a person for non-agricultural purposes :

Provided that if an application is made for conversion of the land use for non-agricultural purposes to the State Government or any other authority appointed by it, within one year from the date of commencement of the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Ordinance, 2011 (Haryana Ordinance No. 4 of 2011) or within one year of the acquisition of land, whichever is later :

Provided further that if such person fails to apply for permission within one year or is denied such permission or fails to put the land to the declared use within the time period specified by the competent authority, then such land shall be excluded from the purview of this clause.

Repeal and saving.

3. (1) The Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Ordinance, 2011 (Haryana Ordinance No. 4 of 2011), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State of Haryana has witnessed Urbanization and Industrialization at a fast pace in the last few decades. The Government is conscious that the primary section of economy (Agriculture) needs to be supplemented with the growth of infrastucture and facilities for the secondary and fertiary sectors of economy. The State Government has revised its Industrial and Investment Policy-2011 in furtherance of the above objective and has also introduced a number of incentives for attracting and promoting investments. This often necessitates acquisition of land by private persons in excess of ceiling laws.

It is necessary for the State Government to harmonize the applicability of laws applicable in urban areas and the laws relating to agrarian reforms specifically the Haryana Ceiling of Land Holdings Act, 1972 and the Haryana Development & Regulation of Urban Areas Act, 1975. For the planned development of urbanisable area, Punjab Schedule Roads & Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 aims at preventing haphazard and sub standard development in these Controlled Areas. Further, the Haryana Development & Regulation of Urban Areas Act, 1975 has also been enacted to regulate the use of land in urban area in order to prevent ill planned & haphazard urbanization in or around town in the State of Haryana. Land described in revenue record as agricultural is now part of the urban areas.

Lands in excess of the prescribed limits under the Haryana Ceiling of land Holdings Act, 1972 has been utilized in the past and is further needed for non-agricultural projects like houding, industrial & infrastructure projects like SEZ, tourism units (hotel & resorts), public utilities etc., which are necessary from the view point of the economic development of the State.

Therefore, to remove uncertainity about the issues which arose about the effect of ceiling laws on urban, industrial & others infrastructure projects set up in the State, there was an urgent/immediate need to address the matter by amending the Haryana Ceiling of Land Holdings Act, 1972 by excluding the land put to or proposed to be put to non-agricultural use by adding clauses under the heading "Act not apply to certain lands" in section 5 of the said Act providing for exemption in respect of such lands, so that there is no adverse impact on the projects approved in the past, or projects that may be set up after approval under various State/ Central laws.

So, the above said amendments had been made with retrospective effect *i.e.* from the date of notification of the Haryana Development & Regulation of Urban Areas Act, 1975 and for said amendment the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Ordinance, 2011 (4 of 2011) was promulgated on 9th August, 2011.

The present measure seeks to replace to Ordinance.

MAHENDER PARTAP SINGH,
Revenue Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 18thAugust, 2011

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2011 का विधेयक संख्या 13-एच०एल०ए०

हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2011

हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2011, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह 30 जनवरी, 1975 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2. हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 5 में,— 1972 के हरियाणा अधिनियम 26 की धारा 5 का संशोधन।

(क) खण्ड (च) में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ख) खण्ड (च) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :—

"(छ) किसी व्यक्ति द्वारा गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए अर्जित तथा हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) के अधीन यथा परिभाषित 'नगरीय क्षेत्र' के भीतर पड़ने वाली भूमि;

(ज) किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित तथा गैर-कृषि उपयोग के लिए रखी गई भूमि, या भूमि जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा, जहां कहीं लागू हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए इसके उपयोग हेतु प्रदान की गई है;

(झ) उपरोक्त खण्ड (छ) या (ज) के अधीन न आने वाली तथा किसी व्यक्ति द्वारा गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए अर्जित भूमि :

परन्तु यदि आवेदन हरियाणा भूमि जोत की अधिकत सीमा (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4) के प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर या भूमि के अर्जन के एक वर्ष के भीतर, जो भी बाद में हो, राज्य सरकार या उस द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए किया जाता है :

परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति एक वर्ष के भीतर अनुज्ञा के लिए आवेदन करने में असफल रहता है या ऐसी अनुज्ञा से इनकार किया जाता है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर घोषित उपयोग के लिये भूमि रखने में असफल रहता है, तब ऐसी भूमि इस खण्ड के कार्यक्षेत्र से अपवर्जित हो जाएगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

पिछले कुछ दशको मे हरियाणा राज्य द्वारा शहरीकरण व औद्योगिकरण के विकास मे तीव्रता देखी गई है। सरकार इस बारे मे चेतन है कि अर्थव्यवस्था प्राथमिक खण्ड (कृषि) की मूलभूत ढांचे में बढोतरी व अर्थव्यवस्था के द्वितीय व तृतीय खण्डों की सुविधाओं से पूरित करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने उपरोक्त उद्देश्य के अनुसरण हेतु उसकी औद्योगिक निवेश नीति-2011 का पुनर्निर्धारण किया है तथा उन उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए कई आकर्षक व प्रन्नित हेतु प्रोत्साहनो को प्रस्तावित किया है तथा यह निजी व्यक्तियों द्वारा भूमि जोत कानून से अधिक भूमि अधिग्रहण को आवश्यक बनाता है।

राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि शहरी क्षेत्रों में लागू कानूनों व भू-सुधार कानूनो विशेषत: हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 और हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 के लागू करने में सामंजस्य बनाए। शहरीकरण योग्य क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास हेतु पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित अनियंत्रित विकास निर्बंधन अधिनियम 1963, इन नियंत्रित क्षेत्रों में अनियंत्रित व निम्न स्तरीय विकास के रोकने के उद्देश्य को लक्षित करना है। आगे हरियाणा राज्य में कस्बो (शहरों) के अन्दर या आस-पास अव्यवस्थित व अनियमित शहरीकरण को रोकने हेतु शहरी क्षेत्र में भूमि उपयोग को नियंत्रित करने के लिए *हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 भी लागू किया गया।* भू-अभिलेख में कृषि भूमि के तौर पर वर्णित भूमि अब शहरी क्षेत्रों का भाग है।

हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 में वर्णित सीमा से अधिक भूमि पहले भी इस्तेमाल की गई है तथा आगे भी गैर कृषि परियोजनाओं जैसे आवासीय, औद्योगिक व बुनियादी परियोजनाओं यथा विशेष आर्थिक आंचल, पर्यटन इकाईयां (होटल व रिसोर्ट), जन सुविधाएं इत्यादि जो राज्य के आर्थिक विकास की दृष्टि से आवश्यक है, हेतु भी इसकी आवश्यकता है।

इसलिए शहरी औद्योगिक तथा अन्य ढांचाग्रस्त परियोजनाएं जो राज्य में स्थापित की गई हैं उन पर भूमि जोत कानून के प्रभावों से उठे मुद्दों सम्बन्धी अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए गैर कृषि प्रयोग के लिए रखी गई अथवा रखी जानी प्रस्तावित की गई भूमि को निकालते हुए हरियाणा भूमि जोत अधिनियम, 1972 की धारा 5 के तहत "ऐसी कुछ भूमियों पर अधिनियम लागू नहीं होगा" को जोड़ते हुए ऐसी भूमि को छूट प्रदान करने के लिए इस अधिनियम में तत्काल संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था, ताकि पूर्व में तथा आगे जो भी परियोजनाएं विभिन्न राज्य/केन्द्रीय कानूनों के अनुमोदन उपरान्त लगाई जाती हैं उन पर कोई विपरित प्रभाव न पड़े।

इसलिए उक्त संशोधन भूत लक्षी प्रभाव से अर्थात् हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियम अधिनियम, 1975 की अधिसूचना की तिथि से किया गया है तथा इस सशोधन के लिए हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (4 ऑफ 2011) 9 अगस्त, 2011 को प्राख्यापित किया गया था।

वर्तमान विधेयक द्वारा अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना है।

महेन्द्र प्रताप सिंह,
राजस्व मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
18 अगस्त, 2011

सुमित कुमार,
सचिव।

48998—H V.S.—H.G.P., Chd.